झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, लोहरदगा।

नामांकन की सूचना

झारखण्ड सरकार के नवनिर्मित सरकारी औद्योगिक प्र"िक्षण संस्थानों में एस0सी0भी0टी0 (SCVT) के अन्तर्गत सितम्बर 2016 से प्रारंभ होने वाले सत्र में प्रत्येक संस्थान के समक्ष अंकित व्यवसायों में प्रवे"ा के निमित इच्छुक महिला एवं पुरू"ा उम्मीदवारों से अनुसूचीः– "क" अनुसार हस्त लिखित/टकित आवेदन पत्र 26 अगस्त 2016 तक आमंत्रित किए जाते हैं:–

1. **प्रवेश पाने हेतु न्यूनमत शैक्षणिक योग्यता निम्नलिखित हः–**
   (क) वेल्डर व्यवसाय के लिए आठवाँ (8वाँ) उत्तीर्ण।
   (ख) "ाेष व्यवसायों के लिए माध्यमिक/10वाँ/समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण 10+2+3 प्रणाली के आधार पर।
   (ग) आई0एस0सी0/आई0ए0/आई0कॉम तथा इससे उच्चतर योग्यता के उम्मीदवारों को 15 अंक का अधिभार दिया जायेगा।
2. **आयु अहर्ताः–**
   (क) 01जलाई 2016 को न्यूनतम आयु 14 व"ाी एवं अधिकतम 40 व"ाी के बोच होनी चाहिए।
   (ख) सैन्य कार्रवाई में मारे गये सैन्य कर्मियों के विधवाओं के मामले मेंअधिकमत आयु 45 व"ाी।
3. **शुल्कः–**
   1. आवेदन पत्र के साथ आवेदन पंजीयन के रूप में 100/– (सौ रूपये मात्र) का पोस्टल आर्डर देना होगा, जो संबंधित **प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कुडू/ महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, लोहरदगा** के पदनाम से भुगतेय होगा (उम्मीदवार जिस संस्थान में प्रवे"ा हेतु आवेदन दे रहे हैं)। किसी भी "ार्त पर यह रा"ा नगद रा"ा के रूप में स्वीकार नहीं की जायेगी तथा न ही लौटायी जायेगी। पोस्टल आर्डर एक माह के अंदर का होना चहिए। अपना आवेदन पत्र सरकारी **औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, लोहरदगा, कुजरा, पा0–कुजरा, जिला–लोहरदगा, झारखण्ड, पिन–835302**. के पत्रे पर निबंधित डाक से भेजे।
4. प्रवे"ा करने के समय प्र"िाक्षणार्थियों को 50/– (पचास रूपये) मात्र का"ान मनी के रूप में जमा करना होगा।
5. **आरक्षण आहर्त्ताः–**
   (क) कार्मिक, प्र"ाासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या–3198, दिनांकः–18/04/2016 के अनुरूप होगा। (संकल्प सं0–2691, दिनांकः–29/04/2002 एवं पत्र सं0–4156, दिनांकः–17/07/2002 पत्र निर्गत होने की तिथि से अवक्रमित समझे जायेंगे।)
   (ख) भूतपूर्व सैनिकों (किसी भी वर्ग) के आश्रितों के लिए प्रत्येक व्यवसाय में एक सीट आरक्षित है।
   (ग) विकलांगों (किसी भी वर्ग) के लिए प्रत्येक व्यवसाय में एक सीट आरक्षित है।
6. नामांकन में जिला की बाध्यता नहीं है। किसी भी जिला के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।
7. आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र (SDO/DC) के द्वारा निर्गत होना चाहिए।

नामांकन हेतु व्यवसाय विवरणी

2. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कुडू (लोहरदगा)

क्रमांक	व्यवसाय का नाम	कुल यनिट	प्र"ाक्षणार्थियों की संख्या	प्र"ाक्षण अवधि
1	विद्युत	02+02=04	42	दो वर्ष
2	फीटर	02+02=04	42	दो वर्ष
3	डीजल मैकेनिक	02	42	एक वर्ष
4	वेल्डर	02	32	एक वर्ष

3. महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, लोहरदगा

क्रमांक	व्यवसाय का नाम	कुल यनिट	प्र"ाक्षणार्थियों की संख्या	प्र"ाक्षण अवधि
1	इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक	01+01=02	21	दो वर्ष
2	स्वींग टेक्नोलॉजी	01	21	एक वर्ष
3	फ्रंट ऑफिस असिसटेंट	01	21	एक वर्ष
4	फैषन डिजाईन टेक्नोलॉजी	01	21	एक वर्ष

उपरोक्त ट्रेडों में नामांकन के क्रम में कार्मिक प"ाासनिक, सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प–3198, दिनांकः–18/04/2016 के अनुरूप रोस्टर का अनुपालन किया जायेगा। अंतिम तिथि के बाद या साधारण डाक एवं सीधे प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा।
अन्य आव"यक शर्त्त / महत्वपूर्ण सूचनाएँ एवं विहित प्रपत्र www.jharkhand.gov.in पर देखा जा सकता है।

नोडल पदाधिकारी
लोहरदगा
औ0 प्र0 संस्थान, लोहरदगा।

1. महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान केवल महिला उम्मीदवारों के लिए है।
2. प्रवेश पाने हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नलिखित है:–
(क)– वेल्डर व्यवसाय के लिए आठवाँ (8वाँ) उत्तीर्ण।
(ख)–शेष व्यवसायों के लिए माध्यमिक/10 वाँ/समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण 10+2+3 के आधर पर।
(ग)–नामांकन प्रवेशिका या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर नामांकन समिति के समक्ष उपस्थित होने के समय उपलब्ध सीट के आलोक में ओपेन बोर्ड प्रणाली द्वारा मैट्रिक के प्राप्तांक/मेरिट के आधार पर नामांकन नियमानुसार किया जयेगा। आई0एस0सी0, आई0ए0, आई0 कॉम तथा इससे उच्चतर के उम्मीदवारों को 15 अंक का अधिभार दिया जायेगा।

3. **आयु अहर्ता:** (क)– 01 जुलाई 2016 को न्यूनतम आयु 14 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष के बीच होना चाहिए।
(ख)– सैन्य कार्रवाई में मारे गये सैन्य कर्मियों के विधवाओं के मामले में अधिकतम आयु 45 वर्ष।
आयु के निर्धारण के लिए केवल माध्यमिक/10वाँ समकक्ष परीक्षा के मूल/औपबंधिक प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि ही बैध होगी। आठवाँ (8वाँ) स्तर के व्यवसायों के लिए प्रधानाध्यापक द्वारा निर्गत उत्तीर्णता प्रमाण पत्र में जन्म तिथि बैध होगी।

4. प्रशिक्षण के लिए शारीरिक योग्यता होनी चाहिए। उम्मीदवारों को लिखित आष्वासन देना होगा कि वे प्रषिक्षण की अवधि में अनुषासन का पालन करेंगे। प्रषिक्षण समप्त होने के पूर्व प्रषिक्षण कभी भ्रग नहीं करेंगे।

5. आवेदन पत्र के साथ आवेदन पंजीयन शुल्क के रूप में 100/– (सौ रूपये) मात्र का पोस्टल आर्डर देना होगा। जो प्राचार्य, औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थान, कुडू (लाहरदगा) के पदनाम से भुगतेय होगा। किसी भी शर्त पर यह राषि के रूप में स्वीकार नहीं की जायेगी तथा नहीं लौटायी जायेगी।

6. प्रवष करने के समय प्रषिक्षणर्थियों को 50/– (पचास रूपये) मात्र कौषन मनी के रूप में जमा करना होगा। अगर छात्रों द्वारा संस्थान का कोई सामान खे जाने या सामान को जानबंझ कर तोड़ दिये जाने पर उसकी कीमत कौषन मनी से काट ली जायेगी तथा अन्य उचित कार्रवाई की जायेगी। उत्तीर्ण करने के बाद छात्र एक वर्ष के अंदर कौषन मनी वापस नहीं लेते हैं तो इसे जब्त कर लिया जायेगा और सरकारी खजाना में जमा कर दिया जायेगा। सरकारी संस्थानों में प्रषिक्षण के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।

7. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति/पिछडत्रे वर्ग के प्रषिक्षणार्थियों को कल्याण विभाग से नियमानुसार छात्रवृति मिल सकती है।

8. **आरक्षण अहर्ता:**– (क) आरक्षण का प्रावधान कार्मिक, प्रषासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्र संख्या–3198, दिनांक–18.04.2016 के अनुसार रहेगा जिसका विस्तृत व्यौरा अनुसूचि "ख" के रूप में सलग्न है।
(ख) यदि अनुसूचित जाति के उम्मीदवार उपलब्ध ना हों तो अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवार का नामांकन किया जायेगा और यदि अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवार उपलब्ध न हों तो अनुसूचित जाति के उम्मीवारों का नामांकन किया जायेगा।
(ग) यदि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति दोनों के उम्मीदवार उपलब्ध न हों तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग से नामांकन किया जायेगा।
(घ) यदि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीवार उपलब्ध न हों तो पिछड़ा वर्ग से नामांकन किया जायेगा।
(ङ) यदि इसके बाद भी सीट बच जाती है तो उन्हें सामान्य वर्ग से भरा जायेगा।
(च) मेरिट से चुने गये आरक्षित वर्ग के उम्मीवारों को आरक्षित सीटों के विरूध माना जायेगा।
(छ) औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थान में स्वीकृत सीटों के 30 प्रतिषत नामांकन सुपरन्यूमरी के रूप में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों से भरा जायेगा।
(ज) भूतपूर्व सैनिकों या भूतपूर्व सैनिको (किसी भी वर्ग के) के आश्रितों के लिए औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थान में प्रत्येक व्यवसाय में एक सीट आरक्षित है।

(झ) विकलांगों (किसी भी वर्ग के) के लिए औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थान में प्रत्येक व्यवसाय में एक सीट आरक्षित है।

यथाः–

जिला–लोहरदगा										
व्यवसाय	प्रषिक्षणर्थियों की संख्या	सामान्य 50:	अनुसूचित जन जाति 47:	अनुसूचित जाति 3:	पिछड़ा जाति–ᑊ 0:	पिछड़ा जाति–ᑊᑊ 0:	भूतपूर्व सैनिक कोटा	विकलांग कोटा	सुपरन्यूमरी एस0टी0 / एस0सी0	कुल

9. **आवासीय अहर्ताः**– सरकारी औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थान में वे ही उम्मीदवार नामांकन ले सकते हैं जो झारखण्ड राज्य के निवासी है या स्थानीय के निवासी के श्रेणी में आते है। झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रषासनिक सुधार तथा राजभा"ाा विभाग की दधिसूचना ज्ञाप संख्या–3198, दिनांक.–18.04. 2016 (डोमिसाईल) में स्थानीय निवासी को परिभा"ाित किया गया है। उम्मीदवारों को अपने दावे के समर्थन में विहित प्रपत्र में सक्षम पदाधिकारी (अनुमण्डल पदाधिकारी (सिविल) या उपायुक्त) द्वारा निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र की मूल प्रति नामांकन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
10. **जाति आधारित अहर्ताः**– नामांकन में झारखण्ड सरकार द्वारा लागू अद्यतन आरक्षण नीति का पालन किया जायेगा। आरक्षित सीटों पर दावा करने वाले उम्मीदवारों को विहित प्रपत्र में सक्षम पदाधिकारी (अनुमण्डल पदाधिकारी (सिविल) या उपायुक्त) द्वारा निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र की मूल प्रति नामांकन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
11. नामांकन में जिला की बाध्यता नहीं है। किसी भी जिला के उम्मीदवार किसी भी आई0टी0आई0 में नामांकन ले सकते है।

अनुसूची "क"

नवनिर्मित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कुडू लोहरदगा में प्रवेश करने हेतु आवेदन पत्र

आवेदक अपना पूर्ण हस्ताक्षर युक्त पासपोर्ट साईज फॉटो चिपकाये।

1. औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थान का नामः–................................
2. उम्मीदवार का नाम (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों मे):–.........................
   (हिन्दी में):–..
3. (क) पिता का नाम :–..
   (ख) अभिभावक का नाम :–..
4. पिता/अभिभावक का पेषा :–..
5. उम्मीवार का पूरा पताः–..
   (क) स्थायी पता :–...
   (ख) थाना :–............................गृहजिला..................पिन न0.........
   (ग) पत्राचार का पताः–..
   ....
6. उम्मीवार का निकटतम रेलवे स्टेषन :–...
7. जन्म तिथि (प्रमाण–पत्र अभिप्रमाणित प्रति के साथ):–..............................
8. दिनांक 1 जुलाई 2016 को आयु ....
9. 'ौक्षणिक योग्यता :–

कृपया प्रवेषिका से लेकर सभी उच्चतर परीक्षाओं का विवरण दें :–

क्र0	परीक्षा का नाम	बोर्ड/ महाविद्यालय का नाम	विद्यालय/ महाविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण होने का व”ार्ि (वार्ि”ाक/पूरक)	श्रेणी	प्राप्तांक	कुल अंक	परीक्षा के वि”ाय	अभ्युक्ति
1									
2									
3									
4									

नोटः– आवेदक सभी 'ौक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण–पत्रों की अभिप्रमाणित छाया प्रतियाँ संलग्न करें।

10. क्या उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के सदस्य हैं? :–..
    ....
11. क्या उम्मीदवार भुतपूर्व सैनिक या उनके आश्रित हैं?......................
12. क्या उम्मीदवार विकलांग हैं?...
13. पिता/अभिाावक की वार्ि”ाक आय और परिवार के वयस्क एवं नाबालिग दोनों की अलग–अलग संख्या :–....
    ....
14. आवेदक पत्र के साथ आवेदन पंजीयन 'ाुल्क (100/–रूपये मात्र) के रूप में संलग्न पोस्टल ऑडर की संख्या निर्गत होने की तिथि तथा राषिः–...............................
15. अनुलग्नक की विवरणी :– 1)..................................2).................3).............................4)...................................5).....................
    ..6)..................................7)............................

मैं...पिता का नाम...
प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरे द्वारा भरी गई है एवं सत्य है।

आवेदन देने की तिथि   आवेदक का हस्ताक्षर

नोटः–(1) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/भूतपूर्व सैनिक या उनके आश्रित एवं वीरगती प्राप्त सैनिक के आश्रितों को अंचल पदाधिकारी/जिला उपायुक्त/जिला सोल्जर्स बोर्ड (जो संबंधित प्रमाण पत्र देने के लिए सक्षम हो) से उक्त वर्ग क होने का प्रमाण पत्र अभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना आवष्यक है।

(2) विकलांगों को अपना आवेदन पत्र देते समय एक फुल साईज का फोटो देना होगा तथा जिला अस्पताल के ऑर्थो–पेडिक्स के विभागाध्यक्ष/जिला के असैनिक 'ाल्य चिकित्सा ;ब्पअपस ैनतहमवदद्ध द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। दूसरे किसी चिकित्सकों के प्रमाण पत्र की मान्यता नहीं दी जायेगी।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, लोहरदगा।

आवश्यक सूचना

झारखण्ड सरकार के नवनिर्मित सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में एस0सी0भी0टी0 (SCVT) के अन्तर्गत सितम्बर 2016 से प्रारंभ होने वाले सत्र में प्रत्येक संस्थान के समक्ष अंकित व्यवसायों में प्रवेश के निमित इच्छुक महिला एवं पुरूष उम्मीदवारों के लिए दिनांक 14.08.2016 को सभी दैनिक सामाचार पत्रों मे सूचना प्रकाशित की गई थी जिसका विज्ञापन संख्या – PR 146819(Labou Employment & Training)16-17 है।

सभी आवेदकों को सूचित किया जाता है कि आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि दिनांक 26.08.2016 से बढ़ा कर दिनांक 30.082016 किया जाता है।

नोडल पदाधिकारी
लोहरदगा सह प्राचार्य
औ0 प्र0 संस्थान, राँची।